न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर मध्यप्रदेश उज्जैन केम्प

प्रकरण क्रमांक /12 निगरानी — 2356-I/12

सुखराम पिता बुधराम, उम्र–81 वर्ष, जाति–मीणा व्यवसाय–कृषि निवासी–ग्राम दुबड़ी, तहसील कालापीपल जिला शाजापुर म.प्र.

----आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

1 रंजित पिता बुधराम, उम्र–86 वर्ष
2. बापूलाल पिता बुधराम, 79 वर्ष
3. नाथुराम पिता बुधराम मीणा फौत द्वारा वारिसान
अ– कमलाबाई बेवा नाथुराम, उम्र–86 वर्ष,
ब– नारायण पिता नाथुराम, उम्र–46 वर्ष
स– फूलसिंह पिता नाथुराम फौत द्वारा वारिसान नानीबाई पति फूलसिंह, उम्र–40 वर्ष,
द– अर्जुन पिता फूलसिंह, उम्र–18 वर्ष
इ– आरती पुत्री फूलसिंह, उम्र–12 वर्ष
ई– अरविन्द पुत्र फूलसिंह, उम्र–14 वर्ष
(आरती पुत्री फूलसिंह एवम् अरविन्द पुत्र फूलसिंह) अवयस्क द्वारा संरक्षिका माता–श्रीमती नानीबाई पति फूलसिंह, समस्त जाति–मीणा, धंधा–कृषि, निवासीगण–दुबड़ी तह. कालापीपल जिला शाजापुर

----अनावेदकगण/उत्तरदाता

माननीय अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला शाजापुर म.प्र. द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 05/11–12 में पारित आदेश दिनांक 21/05/2012 के विरूद्ध दुखित एवम् व्यथित होकर आवेदक निगरानीकर्ता की ओर से यह पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2356-एक/12 जिला शाजापुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-7-2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों पर विचार किया गया । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ग्राम दुबडी की नामान्तरण पंजी क्रमांक 4 बटवारा आदेश दिनांक 6-5-93 एवं प्रमाणित दिनांक 10-6-93 में अनियमितता होने से उक्त प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिये जाने हेतु कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर द्वारा दिनांक 21-5-2012 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का उक्त प्रतिवेदन खारिज किया गया । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 2/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि आवेदक को उसके हिस्से में लगभग 3.6842 प्राप्त होना चाहिए था । यह आधार भी लिया गया है कि बटवारा फर्द कुल भूमि 16.331 हेक्टेयर को आधार मानकर चार भागों में विभाजित की गई है, जिसमें सुखराम को 3.534, रंजित को 4.503 हेक्टेयर, नाथुराम को 4.581 हेक्टेयर एवं बापुलाल को 3.354 हेक्टेयर दिया जाना बताया है, किन्तु वास्तव में आवेदक के पास कुल भूमि 2.49 हेक्टेयर ही है । यह भी आधार लिया गया है कि बटवारे की कार्यवाही में सुखराम को कोई सूचना नहीं दी गई है और न ही बटवारा फर्द पर उसके हस्ताक्षर करवाये गये हैं । सही व समान भाग के आबंटन हेतु प्रश्नाधीन भूमि का पुन: बटवारा किया जाना वैधानिक दृष्टि से से उचित होगा । 3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा की गई बटवारे की कार्यवाही में उभय पक्ष की सहमति है । अत: इस सम्बन्ध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया उचित है, किन्तु प्रकरण में स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही के पर्याप्त आधार नहीं हैं । आवेदक को अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिए था । इस सम्बन्ध में कलेक्टर द्वारा स्पष्ट विवेचना उपरान्त आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से निगरानी निरस्त की जाती है । अध्यक्ष	